पत्र संख्या–कमिश्नर कैम्प/2020–21/04 /वाणिज्य कर

कार्यालय, कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(कमिश्नर कैम्प)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 अप्रैल, 2020

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
2. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
3. एडीशनल कमिश्नर (सर्वो0न्याया0/उ0न्याया कार्य)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषय : कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों में साफ–सफाई एवं सोशल डिस्टेंसिंग को विभाग की कार्यप्रणाली में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में।

आप सभी अवगत हैं कि कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लम्बी अवधि के लॉक डाउन के उपरान्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय कार्यालय खुल रहे हैं।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, महोदय के शासनादेश संख्या–264/2020/सी. एक्स.–3 दिनांक 16 अप्रैल 2020 तथा कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–315/सामान्य–का–4–2020 दिनांक 17.04.2020 से लॉक डाउन के उपरान्त राजकीय कार्यालयों को पुनः खोले जाने की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी के स्वास्थ्य एवं संक्रामक महामारियों से बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग, हैण्ड हाईजीन जैसी सावधानियों को दीर्घकालिक रूप से विभाग की कार्य पद्धति में शामिल किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. लॉक डाउन के पश्चात् विभागीय कार्यालयों को खोले जाने की स्थिति में स्थानीय नगर निकायों से सम्पर्क कर सभी कार्यालयों के सेनिटाइजेशन की व्यवस्था नियमित अन्तराल पर करायी जाए। कार्यालय परिसरों में लिफ्ट, शौचालय आदि सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों की नियमित रूप से पर्याप्त सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
2. सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, हैण्ड हाइजीन, फेस मास्क तथा आरोग्य सेतु एप के महत्व से अवगत कराते हुए इन सावधानियों को दैनिक जीवनचर्या में शामिल करते हुए प्रेरित किया जाए।
3. लॉक डाउन समाप्त होने के बाद भी लम्बी अवधि तक सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कर्मचारी संगठनों, व्यापारिक संघो, अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधिगण से वार्ता कर सुचारू व्यवस्था स्थापित की जाए। यह व्यवस्था भविष्य में भी सुचारू रूप से संचालित करने

Scanned with CamScanner

हेतु प्रत्येक लोकेशन पर कुछ Volunteers तैयार किए जाने का प्रयास किया जाए।

4. व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स को विभाग द्वारा संचालित सभी ऑन लाइन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया जाए तथा विभिन्न संघों के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स से यह अनुरोध किया जाए कि जो विभागीय कार्य ऑन लाइन सम्पादित होने की सुविधा उपलब्ध है, उन कार्यों हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

5. विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपरिहार्य परिस्थितियों में स्टेक होल्डर्स के कार्यालय आने की स्थिति में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने, हैण्ड हाइजीन का ध्यान रखने, फेस मास्क तथा आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

कृपया तद्नुरूप सभी स्टेक होल्डर्स तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए प्रत्येक विभागीय कार्यालय में सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित करने का कष्ट करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपिः एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner